कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, मथुरा।

पत्रांकः 227 /एच0एस0यू0आई0–1/2017–18 दिनांकः 11.5.2018

विज्ञप्ति/सूचना

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–93/ऊषा–3/2014 /एच0एस0यू0आई0 दिनांक 27.11.2014 एवं पत्रांक 39/ऊषा–3/2014–एच0एस0यू0आई0 दिनांक 21–11–2017 में दिये गये निर्देशों के कम में ऊषा स्कीम में –एच0एस0यू0आई0 योजनान्तर्गत आवासीय सम्पत्तियों की सर्किल दरों, बाजार दरों और किराया दरों के आंकड़ों का संग्रहण एवं ब्रिक्स सॉफटवेयर के मोड्यूल पर ऑन लाईन डेटा एन्ट्री का कार्य करने हेतु 01डेटा संग्रहकर्ता एवं 01 डेटा एन्ट्री आपरेटर का नियत मानदेय पर एवं निर्धारित समयावधि हेतु चयन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्मिकों को कॉन्ट्रेक्ट हायरिंग इनडिवुजुअल के आधार पर 02 माह (01 दिसम्बर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक) के लिये हायर किया जाना है। इसके निमित्त डेटा एकत्रित करने हेतु रू0 15000/–एवं डेटा इन्ट्री करने हेतु रू0 12000/– की धनराशि प्रति माह उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। डेटा संग्रहकर्ता की न्यूनतम योग्यता स्नातक (गणित/अर्थशास्त्र/सॉख्यिकीय विषय में) तथा डेटा इन्ट्री आपरेटर की न्यूनतम योग्यता इन्टर के साथ कम्प्यूटर में ओ लेवल की अनिवार्य है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के **आवेदन पत्र दिनांक 20–05–2018 तक अपेक्षित है।**

अन्य शर्तें:–

1. इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी उपरोक्त कार्य हेतु अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, दो फोटोग्राफ, पहचान पत्र, व अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पैनकार्ड की छायाप्रति कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रथम तल, राजीव भवन, मथुरा में अन्तिम तिथि **20–05–2018 तक** बन्द लिफाफे में डाक के माध्यम से अथवा सीधे स्वयं जमा करें।

2– हायर कार्मिको की सेवायें दूसरे माह की अन्तिम तिथि अर्थात 31 जुलाई 2018 को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3– हायर कार्मिको को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नही है। माह में अनुपस्थित रहने के दिन व सार्वजनिक अवकाश का मानदेय भुगतान नही किया जायेगा।

4– यह किसी भी प्रकार की नियुक्ति/भर्ती नही है। केवल राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देश के अनुसार केवल कॉन्ट्रेक्ट बेस पर कार्य पूर्ण होने तक या बजट उपलब्ध रहने तक के लिये ही सम्बन्धित कार्मिकों को हायर किया जायेगा।

5. नियुक्त किये गये कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर उसे बिना कोई कारण बताये व बिना किसी पूर्व सूचना एवं नोटिस के हटा दिया जायेगा और उस कर्मचारी के स्थान पर नये कर्मचारी की भर्ती प्रश्नगत पद पर कर ली जायेगी।

6. उक्त विज्ञप्ति एवं उसके सापेक्ष प्राप्त किये गये आवेदन पत्रों को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

(शीश कुमार)
अर्थ एवं संख्याधिकारी
मथुरा।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा
3. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, आगरा मण्डल, आगरा।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मथुरा को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. सहायक निदेशक, सूचना/जिला सूचना अधिकारी, मथुरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र यथा–दैनिक जागरण, अमर उजाला में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
6. वरिष्ठ सहायक (स्थापना) को कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

अर्थ एवं संख्याधिकारी
मथुरा।